

ज्ञापांक 334/फा0 ...25  
कार्यालय अग्निशामालय पदाधिकारी, सहरसा  
दिनांक- .... वी0 .....

सेवा में, प्रवक्ता - को सरो भन्ना  
सि० सि० जिल्ला पत्ति ० स०

प्रसंग :- आवेदक का आवेदन दिनांक - 29/12/2020 सहरसा

विषय :- अग्निशमन यंत्रों की जाँच एवं अग्निशमन व्यवस्था का सुझाव पत्र ।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन आवेदन के आलोक में व्यवस्थापक द्वारा अपने प्रतिष्ठान में लगाये गये पोर्टेबल अग्निशमन यंत्रों की जाँच करायी गई। जो निम्न है:

- (A) ABC फायर एक्सटिंग्विशर - 10 अदक  
(B) CO2 फायर एक्सटिंग्विशर - 02 अदक  
(C) फोम एक्सटिंग्विशर - X  
(D) वाटर CO2 एक्सटिंग्विशर - X  
(E) बालू भरी बाल्टी - 04 अदक  
(F) पानी भरी बाल्टी - 04 अदक  
(G) कम्बल - 04 अदक

उपरोक्त सभी अग्निशामक यंत्र सही एवं क्रियाशील अवस्था में पाया गया। इसके साथ ही प्रबंधक को निम्नलिखित सुझाव दिया जाता है :

1. बिहार फायर एक्ट - 2014 के अनुरूप अग्निशमन यंत्रों/उपकरण का संधारण एवं रख-रखाव स्वयं करेंगे।
2. व्यवस्थापक NBC एवं BBC में उल्लेखित गाइड लाईन का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।
3. उच्च मानक का विद्युत वायर, MCB कट आउट में फ्लुज वायर कर उपयोग करेंगे।
4. पानी टंकी हमेशा पानी से भरे हुए रखेंगे तथा पाइप लाइन की व्यवस्था रखेंगे।
5. व्यवस्थापक दिया सलाई, बीड़ी सिगरेट का पीने का पूर्ण रूप से प्रतिबंध रखेंगे एवं NO SMOKING का बोर्ड लगायेंगे।
6. बिहार फायर एक्ट 2014 में दिये गए अन्य सभी निदेशों का अनुपालन करेंगे।
7. यह जाँच प्रमाण पत्र माह जनवरी 2021 तक के लिए निर्गत की जाती है।  
निर्देश दिया जाता है कि माह जनवरी 2021 से पहले अग्निशमन यंत्र/उपकरण की जाँच कराना सुनिश्चित करेंगे। अगर आपके द्वारा उक्त शर्तों का पालन नहीं किया जाता है तो इस BIHAR FIRE ACT 2014 के प्राक्धानों का उल्लंघन माना जाएगा तथा आप पर अग्रतर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

विश्वासभाजन

14/01/2021  
अग्नि-शामालय पदाधिकारी  
सहरसा